राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

प्रधान कार्यालय : के. 52, कृष्णगंज, अजमेर-305001

दूरभाष : अध्यक्ष : डॉ. ग्यारसीलाल जाट, सीकर (01572) 245866, मो. 9414038866

महामंत्री : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425

ज्ञापन

माननीय मुख्यमंत्रीजी
राजस्थान सरकार, जयपुर।
माननीय महोदय

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) गत वर्षों से आपका ध्यान राज्य के विश्वविद्यालयों, राजकीय तथा गैर राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करता रहा है। अनेक ज्ञापनों के साथ शिक्षक समस्याओं पर पृथक से आपको लिखे गये पत्रों के माध्यम से संगठन का दृष्टिकोण व औचित्य प्रस्तुत किया है। इन शिक्षक समस्याओं पर उच्च शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) व निदेशक उच्च शिक्षा को न केवल पत्र लिखे गये हैं वरन् अनेक बार भेंटवार्ताओं द्वारा शिक्षकों का पक्ष प्रस्तुत करते हुए शिक्षक समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया को तीव्र कराने का प्रयास किया है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतनमान संशोधन के साथ अनेक अन्य परिवर्तनों की व्यवस्था के साथ एक पैकेज दिया था जिसे प्रभावी बनाने का निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार ने गत वर्षों में शिक्षक हितवर्द्धन से संबंधित व्यवस्थाओं में वेतनमान संशोधन को छोड़कर पैकेज की अन्य सभी व्यवस्थाओं पर निर्णय नहीं किया है। सरकार ने शिक्षकों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाली व्यवस्थाओं को तो अविलम्ब लागू किया है, परन्तु शिक्षक हितो को पोषित करने वाले सभी प्रावधानों पर पूर्ण चुप्पी साधी हुई है। इन सभी के कारण शिक्षक स्वयं को हाशिये पर समझ रहा है एवं ऐसी स्थिति में उसकी कार्यदशा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। शिक्षकों में भारी रोष व असंतोष व्याप्त हो रहा है। प्रस्तुत ज्ञापन के माध्यम से संगठन पुनः राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब निर्णय चाहता है।

1. **महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन तथा प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति** - सम्पूर्ण देश में उच्च शिक्षा में पदनाम व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता तथा चयनित वेतनमान व्याख्याता के स्थान पर यू.जी.सी. की अनुशंसाओं पर असिसटेंट प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर किया गया है। राजस्थान सरकार आज तक भी आर. ई. एस. नियमों में संशोधन कर पदनाम असिसटेंट प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर करने का निर्णय नहीं कर सकी है। यू.जी.सी. वेतनमान पर जारी आदेश में व्यवस्था की गई थी कि पैकेज की अन्य व्यवस्थाओं को आर.ई.एस. नियमों में संशोधन कर लागू किया जायेगा। ये परिवर्तन अभी भी प्रतीक्षित है। पदनाम परिवर्तन के अभाव में शिक्षकों के सम्मान में कमी तो प्रदर्शित होती ही है, साथ ही शिक्षकों को यू.जी.सी. की शैक्षिक उन्नयन की अनेक योजनाओं के लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। यू.जी.सी. के नवीनतम पैकेज में महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के पद सृजन की भी व्यवस्था की गई है। इन पदों को प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। राज्य में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने से महाविद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सकेगा तथा शोध, अनुसंधान व शिक्षण के क्षेत्र में महाविद्यालय प्रभावी योगदान दे सकेंगे। राज्य सरकार बहुत छोटी-सी वित्तीय व्यवस्था से राज्य की उच्च शिक्षा को नये शिखर पर पहुँचाने में सहायक हो सकती है। विश्वास है कि आपकी रचनात्मक सोच सकारात्मक निर्णय करायेगी।